

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार -2018) कैम्प कोर्ट- फेफाना
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 85 सन 2018

अनवान :-

1. आमीन पुत्र चिरागदीन जाति तेली साकिन दीपलाना तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. अलादीन 2. रूस्तम 3. सफी मोहम्मद पि0 गफूरदीन जाति तेली निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
4. जतन पत्नी गफूरदीन जाति तेल साकिन दीपलाना तहसील नोहर।
5. जरीना पुत्री गफूरदीन जाति तेल साकिन दीपलाना तहसील नोहर
- 6 बली मोहम्मद 7 खूशी मोहम्मद 8 सलामुदीन 9. इकबाल 10 ईलियास मोहम्मद 11 कुरसेद मोहम्मद 12 सदीक मोहम्मद पुत्रगण स्व नूरदीन जाति तेल साकिन दीपलाना तहसील नोहर।
13. भूरी पत्नी नूरदीन जाति तेल साकिन दीपलाना तहसील नोहर
14. जरीना बानो 15. जमिला बानों 16 रफीक मोहम्मद 17 हनीफ महोम्मद 18 इस्पाक 19 मुस्ताक अली 20 हुसैन मोहम्मद 21 अलामेर 22 जरीना 23 फुली 24 जरिना 25 नियामती 26. जैतून 27 मन्जू 28 नजमा पुत्रया स्व यासीन खां जाति तेली साकिन दीपलाना तहसील नोहर।
29. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
30. पप्पू पुत्र स्व चिरागदीन जाति तेली साकिन दीपलाना तहसील नोहर।
31. बेदा पुत्री चिरागदीन जाति तेली साकिन दीपलाना तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 07.05.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार - 2018") में पेश किया गया संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 20 डीपीएन के खाता संख्या 54/42 की कुल 3.2890हैक् भूमि नूरदीन चिरागदीन यासीनखां, पुत्रगण खैरदीन खातेदार काश्तकार थे तथा चक 20 डीपीएन के खाता संख्या 53/43 की कुल 6.3250हैक् भूमि नूरदीन पुत्र खैरदीन खातेदार काश्तकार थे।

नूरदीन , चिरागदीन, यासीनखां, गफूर पि0 खैरदीन का देहान्त हो चुका है गफूरदीन के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 , नूरदीन के वारिसान 12 ता 15 यासीन खां के वारिसान वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 30 ,31 है।

उक्त भूमि खैरदीन के द्वारा अर्जित भूमि की आय से खरीद की गई भूमि है खैरदीन के देहान्त होने पर उसके चारों पुत्रों के नाम से दर्ज होनी चाहिये थी किन्तु नूरदीन अकेले के नाम से दर्ज हो गई जबकि उसके चारों पुत्रों के नाम से दर्ज होनी चाहिये थी खैरदीन के चारो पुत्रों का हक हिस्सा है तथा गफूरदीन के वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 ,5 एवं नूरदीन के वारिसान प्रतिवादी संख्या 13 ता 15 , एवं यासीन के वारिसान प्रतिवादी संख्या 22 ता 28 तथा चिरागदीन के वारिसान प्रतिवादी संख्या 31 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईया के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 30, 1 ता 3 , 6 ता 12 ,16 ता 21 ,के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया प्रतिवादी संख्या 1 ता 31 स्वय उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि पैतृक सम्पति है जो खैरदीन के देहान्त होने पर उसके चारों पुत्रों का हक हिस्सा है जिनके देहान्त होने पर उनके वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 28 ,30 ,31 का हक हिस्सा है तथा गफूरदीन के वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 ,5 एवं नूरदीन के वारिसान प्रतिवादी संख्या 13 ता 15

S. Zaidi

. एवं यासीन के वारिसान प्रतिवादी संख्या 22 ता 28 तथा चिरागदीन के वारिसान प्रतिवादी संख्या 31 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईया के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 30, 1 ता 3 , 6 ता 12 ,16 ता 21 ,के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो ऐतराज नहीं है अपने कथनों की ताईद में राजीनामा पेश किया जो तस्दीक कर शामिल मिसल किया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वादी के दादा खैरदीन के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद उसके चारो पुत्रों के नाम से दर्ज होनी चाहिये थी किन्तु सहवन से एक नूरदीन के नाम से दर्ज हो गई जिसे संशोधन किया जाकर चारों के नाम से दर्ज की जा सकती है खैरदीन के चारो पुत्रों नूरदीन चिरागदीन यासीन खां गफूरखा का देहान्त हो गया है जिसके वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 28 ,30 ,31 है जो वाद भूमि के बराबर के हकदार है ।

वादी का कथन है कि गफुरदीन के वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 ,5 एवं नूरदीन के वारिसान प्रतिवादी संख्या 13 ता 15 , एवं यासीन के वारिसान प्रतिवादी संख्या 22 ता 28 तथा चिरागदीन के वारिसान प्रतिवादी संख्या 31 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईया के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 30, 1 ता 3 , 6 ता 12 ,16 ता 21 ,के हक हिस्सा की भूमि है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4 ,5 ,13 ता 15 ,22 ता 28 ,ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उनके द्वारा अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 30, 1 ता 3 , 6 ता 12 ,16 ता 21 ,के हक हिस्सा है जिसे उनके नाम से दर्ज कि जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 4 जो वादी की बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4 ने स्वीकार किया गया है जाकर राजीनामा पेश किया जा चुका है ।

इसप्रकार वादीगण के बाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 28 ,30 ,31 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है ए प्रतिवादी संख्या 4 ,5 ,13 ता 15 ,22 ता 28 ने अपना हक त्याग किया गया है राज्य हकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 20 डीपीएन के खाता संख्या 53/43 की कुल 6.3250 हैक् , भूमि में वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 30 बहिब 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब 1/4 हिस्सा , व प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 बहिब 1/4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 16 ता 21 बहिब 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 5000/- अखरे रूपये पाच हजार का स्टाम्प इजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न किया जावे । यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे । व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे । इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 07.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार - 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी

राजस्व लोक अदालत-2018

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

कैम्प कोट-फेफाना

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार -2018) कैम्प कोर्ट-फेफाना

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :-

1. आमीन पुत्र चिरागदीन जाति तेली साकिन दीपलाना तहसील नोहर।

बनाम

वादी

- 1 अलादीन 2. रूस्तम 3. सफी मोहम्मद पि0 गफूरदीन जाति तेली निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
4. जतन पत्नी गफुरदीन जाति तेल साकिन दीपलाना तहसील नोहर।
5. जरीना पुत्री गफुरदीन जाति तेल साकिन दीपलाना तहसील नोहर
- 6 बली मोहम्मद 7 खूशी मोहम्मद 8 सलामुदीन 9. इकबाल 10 ईलियास मोहम्मद 11 कुरसेद मोहम्मद 12 सदीक मोहम्मद पुत्रगण स्व नूरदीन जाति तेल साकिन दीपलाना तहसील नोहर।
13. भूरी पत्नी नुरदीन जाति तेल साकिन दीपलाना तहसील नोहर
14. जरीना बानो 15. जमिला बानों 16 रफीक मोहम्मद 17 हनीफ महोम्मद 18 इस्पाक 19 मुस्ताक अली 20 हुसैन मोहम्मद 21 अलामेर 22 जरीना 23 फुली 24 जरिना 25 नियामती 26. जैतून 27 मन्जू 28 नजमा पुत्रया स्व यासीन खां जाति तेली साकिन दीपलाना तहसील नोहर।
- 29 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
- 30 पप्पू पुत्र स्व चिरागदीन जाति तैली साकिन दीपलाना तहसील नोहर।
- 31 बेदा पुत्री चिरागदीन जाति तेली साकिन दीपलाना तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 85 सन 2018 निर्णय दिनांक-07.05.2018

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार - 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 20 डीपीएन के खाता संख्या 53/43 की कुल 6.3250 हैक्, भूमि में वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 30 बहिब 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब 1/4 हिस्सा, व प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 बहिब 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 16 ता 21 बहिब 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 5000/- अखरे रूपये पाच हजार का स्टाम्प इजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 07.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार - 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया।

शिविर श्रीमारी

राजस्व लोक दालत-2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट-फेफाना